



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

पत्र सं. 4-3/2026/परीक्षा/म.सा.रा.वे.वि.प्र./

दिनांक/Date :- 30.9.2026

अधिसूचना / Notification- 2158

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के आयोजन संबंधी दिशा - निर्देश।

Subject :- Guidelines regarding the conduction of Half-Yearly Examinations for the Academic Session 2026-27.

शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ – (i) आधुनिक विषयों की लिखित परीक्षा 25 नवम्बर से 30 नवम्बर 2026 एवं (ii) सस्वर वेद मौखिक परीक्षा 17 नवम्बर से 24 नवम्बर 2026 तक आयोजित की जा रही है।

Half-Yearly Examinations for the Academic Session 2026-27 – (i) Written examinations for modern subjects will be conducted from 25th November to 30th November 2026, and (ii) Saswara Veda Oral examination will be conducted from 17th November to 24th November 2026.

2. सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। अतः प्रतिष्ठान अथवा बोर्ड से संबद्ध सभी वेद पाठशालाएँ एवं इकाइयाँ यह सुनिश्चित करें कि उनकी पाठशाला अथवा इकाई में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लिया हो।

It is mandatory for all students to appear in the Half-Yearly Examinations for the Academic Session 2026-27. Therefore, all the Veda Pathshalas and Units affiliated to the Pratishthan or Board should ensure that every student studying in their Pathshala or Unit must have appeared in the Half-Yearly Examination.

4. यह एतद्वारा पुनः उल्लेख किया जाता है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा में वेद एवं आधुनिक विषयों से संबंधित प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रथम 70% भाग से पूछे जाएँगे।

It is hereby reiterated that the questions in the Half-Yearly Examination, both for Veda and Modern Subjects, will be based on the first 70% portion of the prescribed syllabus.

5. वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन इस प्रकार से किया जाएगा -

The Half-Yearly Examination for students studying in Veda Pathshalas and Units will be conducted as follows -

सस्वर वेद की मौखिक परीक्षा / Oral Examination of Saswara Veda -

वेद पाठशाला एवं इकाई/ Veda Pathshala and Unit	परीक्षा का आयोजन/ Conduction of Examination	दिनांक/Date
अनुदानित/Aided	प्रतिष्ठान से ऑनलाईन माध्यम द्वारा/Through online medium from the Pratishthan	17 नवम्बर से 24 नवम्बर 2026/17 th November to 24 th November 2026
अनुदानरहित/Unaided	पाठशाला / इकाई द्वारा स्वयं/ By the Pathshala/Unit it self	17 नवम्बर से 24 नवम्बर 2026/17 th November to 24 th November 2026

(i) अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों में अध्ययनरत वेदभूषण प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश के समय पंजीयन संख्या को अस्थायी अनुक्रमांक के रूप में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उपयोग करना है। वार्षिक परीक्षा हेतु अनुक्रमांक पृथक से जारी किया जाएगा।

For Veda Bhushan First Year students studying in aided Veda Pathshalas and Units, the registration number at the time of admission will be used as temporary roll number for the Half-Yearly Examination. Roll number for the Annual Examination will be issued separately.

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पो.ऑ. जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN - 456006 (M.P.)

दूरभाष/Telephone : 0734 - 2502266, 2502254, ई-मेल/E-mail : msrvvpujn@gmail.com, वेब-साइट/Website : www.msrvvp.ac.in

- (ii) अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों में वेद परीक्षा हेतु नोडल व्यक्ति अधिसूचित समय पर विद्यार्थियों को वेद परीक्षा पैनल के साथ जोड़ना सुनिश्चित करेगा।

In the aided Vedic Pathshalas and Units, the nodal person will ensure that the students are connected with the Veda Examiner panel at the notified time for the Veda examination.

- (iii) अनुदानरहित वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों में अध्ययनरत वेदभूषण प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें अनुक्रमांक प्रतिष्ठान से प्राप्त नहीं हुआ है, वे अपने आधार क्रमांक को अस्थायी अनुक्रमांक के रूप में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा हेतु अनुक्रमांक अलग से जारी किया जाएगा।

Students of Veda Bhushan First Year studying in unaided Veda Pathshalas and Units, who have not received a roll number from the Pratishthan, may use their Aadhaar number as a temporary roll number for the Half-Yearly Examination. A separate roll number will be issued for the Annual Examination.

- (iv) अनुदानरहित वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वेद की मौखिक परीक्षा संबंधित वेद पाठशालाओं अथवा इकाइयों में कार्यरत उसी वेदशाखा के वेदगुरु द्वारा ही संपन्न की जाए। सस्वर वेद की मौखिक परीक्षा हेतु वेद परीक्षक अनुलग्नक-1 में दिए गए निर्देशों का पालन करें। विद्यार्थियों के वेद की मौखिक परीक्षा के प्राप्तांकों को प्रपत्र-1 में तथा उपस्थिति को प्रपत्र-2 में अभिलिखित कर अवश्य सुरक्षित रखें, जिन्हें प्रतिष्ठान द्वारा माँगे जाने पर तुरंत उपलब्ध कराना होगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की प्रविष्टि एवं उक्त प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी निर्देश पृथक रूप से अधिसूचित किए जाएंगे।

The oral examination of Veda for students studying in unaided Veda Pathshalas and Units must be conducted only by the Veda Guru of the same Veda Shakha engaged in the respective Pathshala or Unit. For the oral examination of Saswara Veda, the Veda examiner must follow the instructions provided in Annexure-1. The marks obtained by students in the Veda oral examination must be recorded in Proforma-1 and their attendance in Proforma-2, which must be preserved and made available immediately upon request by the Pratishthan. Separate instructions will be issued regarding the entry of students' marks and uploading the said proformas on the portal.

(अ) आधुनिक विषयों की लिखित परीक्षा / Written Examination of Modern Subjects -

- (i) लिखित परीक्षा हेतु प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिका इस लिंक (<https://msrvvp.ac.in/HalfYearlyExam2026-27/>) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

For the written examination, the question paper cum answer booklet will be made available through this link (<https://msrvvp.ac.in/HalfYearlyExam2026-27/>).

- (ii) प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिका की गोपनीयता को बनाए रखने हेतु वेद पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों में कार्यरत वेद अध्यापक को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु नोडल व्यक्ति के रूप में पाठशाला स्वयं नामित करें।

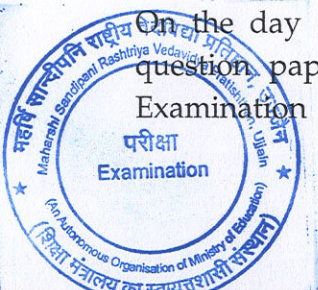
In order to maintain the confidentiality of the question paper-cum-answer booklets, the Veda teacher working in the Veda Pathshalas and Guru-Shishya Parampara Units shall be appointed by the respective Pathshala/Unit itself as the Nodal Person for the Half-Yearly Examination.

- (iii) वेद पाठशाला अथवा इकाई में अर्द्धवार्षिक परीक्षा कराने का संपूर्ण दायित्व नोडल व्यक्ति का होगा।

The entire responsibility for conducting the Half-Yearly Examination in the Veda Pathshala or Unit shall be that of the nodal person.

- (iv) नोडल व्यक्ति ही उक्त लिंक के माध्यम से अर्द्धवार्षिक परीक्षा समय-सारणी के अनुसार, संबंधित विषय का प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिका डाउनलोड (परीक्षा दिवस के दिन) एवं प्रिंट कर लिफाफे में सुरक्षित रखेगा। प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिकाओं को अनधिकृत व्यक्ति से बचाने एवं गोपनीयता बनाए रखने का संपूर्ण दायित्व नोडल व्यक्ति पर होगा। अनियमितता अथवा गोपनीयता भंग होने की स्थिति में नोडल व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

On the day of the examination, the nodal person will download (from the given link) the question paper cum answer booklet for the relevant subject according to the Half-Yearly Examination timetable, print them, and keep them securely in envelopes. The entire



responsibility for safeguarding the question paper cum answer booklets from unauthorized access and maintaining their confidentiality lies with the nodal person. In case of any irregularity or breach of confidentiality, action will be taken against the nodal person as per the rules.

- (v) साथ में नोडल व्यक्ति यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिका समय-सारणी के अनुसार परीक्षा प्रारम्भ होने से 10 मिनट पूर्व ही वितरित की जाए तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति को प्रपत्र-2 में अवश्य प्राप्त कर सुरक्षित रखा जाए, जिन्हें प्रतिष्ठान द्वारा माँगे जाने पर तुरंत उपलब्ध कराना होगा।

Further, the nodal person must also ensure that the question paper cum answer booklet is distributed to the students 10 minutes before the start of the examination as per the timetable, and that the attendance of the students is recorded in Proforma-2 and securely kept, to be made available immediately upon request by the Pratishthan.

- (vi) परीक्षा केन्द्र पर नोडल व्यक्ति यह अवश्य सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थी एवं अनधिकृत व्यक्ति प्रश्नपत्र सह उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष से बाहर न ले जाने पाए।

The nodal person at the examination center must ensure that students and unauthorized persons are not allowed to take the question paper cum answer booklet out of the examination hall during the examination.

- (vii) प्रत्येक विषय की परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत, अध्ययन वर्षानुसार प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिकाओं को क्रमवार व्यवस्थित कर लिफाफों में रखा जाए। लिफाफों को नोडल व्यक्ति मुहरबंद एवं हस्ताक्षरित कर सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखें। विद्यार्थियों के प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिकाओं को अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से सुरक्षित रखा जाए।

After the completion of the examination for each subject, the question paper cum answer booklets should be organized subject-wise according to the year of study and placed in envelopes. The envelopes must be sealed and signed by the nodal person and safely kept under their custody. The question paper cum answer booklets of the students should be kept safe from the reach of unauthorized persons.

- (viii) प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन एवं हेतु निर्देश पृथक से अधिसूचित किए जाएंगे।

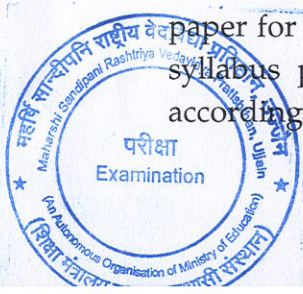
Instructions regarding the evaluation of question paper cum answer booklet will be issued separately.

6. आधुनिक विषयों की परीक्षा में प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर परीक्षा की निगरानी करेंगे।

In the examination of modern subjects, representatives from the Pratishthan will join online to oversee the exam.

7. क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा की परीक्षा (केवल वेद भूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा-7वीं) से वेद विभूषण द्वितीय वर्ष (कक्षा-12वीं) तक) पाठशाला/इकाई द्वारा अपने स्तर पर आयोजित कराई जाए। परीक्षा हेतु संबंधित राज्य/क्षेत्र में प्रचलित क्षेत्रीय भाषा अथवा विद्यार्थियों की मातृभाषा का चयन किया जा सकता है। चयनित भाषा का प्रश्न-पत्र पाठशाला/इकाई द्वारा संबंधित राजकीय बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार कर परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्न-पत्र का प्रारूप म.सा.रा.वे.वि.प्र. द्वारा संस्कृत विषय के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप रखा जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित भाषाओं में से उपयुक्त भाषा का चयन किया जा सकता है— असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उडिया, तमिल एवं तेलुगु। उपरोक्त उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त यदि किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को परीक्षा हेतु चयनित किया जाना हो, तो ऐसी भाषा के चयन की सूचना परीक्षा विभाग को पूर्व में अनिवार्य रूप से दी जाए तथा परीक्षा विभाग की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही उस भाषा में परीक्षा आयोजित की जाए। परीक्षा में संबंधित विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

The examination in the Regional Language/Mother Tongue (only from Veda Bhushan Second Year (Class 7th) to Veda Vibhushan Second Year (Class 12th) shall be conducted by the respective Pathshala/Unit at its own level. For the examination, the Regional Language prevalent in the concerned State/Region or the Mother Tongue of the students may be selected. The question paper for the selected language shall be prepared by the Pathshala /Unit in accordance with the syllabus prescribed by the respective State Board, and the examination shall be conducted accordingly. The format of the question paper shall be kept in accordance with the prescribed



format of the Sanskrit subject MSRVVP. For this purpose, an appropriate language may be selected from the following languages: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Odia, Tamil, and Telugu. If any regional language or mother tongue other than the languages mentioned above is proposed to be selected for the examination, the Examination Department must be informed in advance, and the examination in such language shall be conducted only after obtaining prior permission/approval from the Examination Department. The participation of the concerned students in the examination shall be ensured.

8. नोडल व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधन को न अपनाए या परीक्षा संबंधी किसी भी अनुचित गतिविधियों में संलिप्त न हो, अन्यथा पाठशाला/गु. शि.प. इकाई को अनुदान रोकने सहित सख्त कार्रवाई इस संबंध में शासी नियमों के अनुसार की जाएगी। साथ ही यह भी ध्यान दिया जाए कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के भीतर (i) पढ़ने की सामग्री जैसे पेपर चिट, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि, (ii) मोबाइल फोन, (iii) इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हेड/ ईयर फोन, ब्लूटूथ और कैलकुलेटर (जब तक निर्दिष्ट न हो) आदि प्रतिबंधित हैं। यह एक विस्तृत सूची नहीं है, और म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन अन्य वस्तुओं जिसे धोखाधड़ी या कदाचार में उपयोग किया जा सकता है उसे परीक्षा स्थल पर ले जाने से रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी अभ्यर्थी के कब्जे में कोई उपर्युक्त वस्तु पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध समुचित कानूनी / आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

The nodal person must ensure that no candidate uses any unfair means or engages in any irregular activities related to the examination. Otherwise, strict action will be taken against the Pathshala/GSP Unit, including suspension of grants, in accordance with the governing rules. Additionally, it should be ensured that within 100 meters of the Examination Center : (i) Study materials such as paper notes, books, magazines, newspapers, etc. (ii) Mobile phones (iii) Electronic devices such as headphones/earphones, Bluetooth devices, calculators (unless explicitly allowed) etc are prohibited. This is not an exhaustive list, and the M.S.R.V.V.P., Ujjain reserves the right to prohibit any other items that could be used for fraud or misconduct at the Examination Center. If any of the above items are found in possession of a candidate, appropriate legal/criminal action may be initiated against them.

9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

प्रतिलिपि / Copy to :

सहायक निदेशक (शै.), सहायक निदेशक (शोध एवं प्रकाशन) एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ।

For information of Assistant Director (Acad.), Assistant Director (Research and Publication) and Accounts Officer.

2. प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

For publication on the website of Pratishthan.

3. प्रतिष्ठान से संबद्ध समस्त वेद पाठशालाओं / गुरु शिष्य परम्परा इकाइयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

For information and compliance of all the Veda Pathshalas/ Guru Shishya Parampara Units affiliated to the Pratishthan.

4. रक्षित पत्रावली / Guard File.

(आकाश कुमार देवेश मिश्रा)
सहायक निदेशक (परीक्षा)

0734-2502255/54



सस्वर वेद की परीक्षा के लिए वेद परीक्षकों हेतु दिशा-निर्देश /
Guidelines for Veda Examiners for the Saswar Veda Exam

1. विद्यार्थी से न्यूनतम 10 मंत्र पूछे जाएँ। न्यूनतम 07 मंत्रों का उत्तर देना अनिवार्य है।

The student should be asked the at least 10 mantras. It is mandatory to answer at least 07 mantras.

2. त्रिसंध्या/प्रसिद्ध सूक्तों के विषय में भी परीक्षा लेना अनिवार्य है। इस विषय में अध्ययन के स्तर का उल्लेख करें। साथ ही यह भी लिखें कि विद्यार्थी प्रतिदिन संध्या कर रहा है या नहीं।

It is mandatory to test the student on Trisandhya/Popular Suktas. Please mention the level of the student's understanding of this topic. Also, indicate whether the student performs the Sandhya practice daily or not.

3. यदि विद्यार्थी उक्त 10 प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षा, ब्राह्मण, उपनिषद् एवं निरुक्त आदि अन्य ग्रन्थों से अधिकतम 03 प्रश्न पूछकर प्रतिपूर्ति की जाए।

If the student is unable to answer the above 10 questions, then, they should be compensated by asking a maximum of 03 questions from the other texts like Shiksha, Brahman, Upanishad, Niruktam etc. as prescribed in syllabus.

4. वेद की सामूहिक परीक्षा मान्य नहीं होगी।

Group examination of Veda will not be valid.

5. प्रत्येक छात्र की सस्वर-वेद मौखिक परीक्षा पृथक-पृथक आयोजित की जाए।

Sasvara Oral Veda Examination must be conducted separately for each student.

6. पूर्व वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित मंत्र भी पूछे जाएँ।

Mantras prescribed in earlier year syllabus should also be asked.

7. परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में मंत्रों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए।

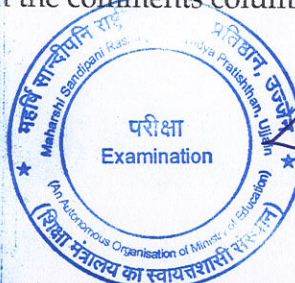
Mantras should not be repeated in the questions asked in the exam.

8. परीक्षा में ऋषि, छन्द, देवता, आदि भी पूछे जाएँ।

Rishi, Chanda, Devata etc, may also be asked in the examination.

9. यदि छात्र पूछे गए मंत्र को नहीं बोलता है अथवा "कोई पढ़ाई नहीं हुई है" ऐसा कहता है, तो उस स्थिति में प्रपत्र-1 के टिप्पणी कॉलम में उल्लेख करें।

If the student does not recite the asked mantra or says "no study has been done", then in this situation it should be noted in the comments column of Proforma-1.



प्रपत्र -1

सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु छात्र प्राप्तांक प्रविष्टि प्रपत्र / Student Marks Entry Proforma for the Half-Yearly Examination, Session 2026-27

अनुदानरहित इकाई/पाठशाला का नाम/ Name of the Unaided Unit/Pathshala -

वेद परीक्षक का नाम:-

मोबाइल नं. / Mobile No.

वेद शाखा:-

सस्वर वेद परीक्षा अंक विवरण

[illegible]

वेद परीक्षक का नाम:

हस्ताक्षर :

दिनांक:

नोडल व्यक्ति का नाम:-

हस्ताक्षर:-

दिनांक:-

प्रपत्र -2

सत्र 2026-27 अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु छात्र हस्ताक्षर प्रपत्र / Student Signature Proforma for the Half-Yearly Examination, Session 2026-27

इकाई/पाठशाला का नाम/ Name of the Unit/Pathshala -

पता / Address :-

मोबाइल नं. / Mobile No.

केन्द्र क्रमांक/Centre No. :-

25/11/2026

26/11/2026

27/11/2026

28/11/2026

29/11/2026

30/11/2026

Date _____

क्रमांक/
S.N.

रोल नम्बर/ Roll Number	
---------------------------	--

अध्ययन वर्ष/
Study Year

छात्र का नाम /Student
Name

वेद शाखा /
Veda Shakha

संस्कृत/
Sanskrit

अंग्रेजी/
English

गाणित / वै. सा.
का इ. - I / II /

-I / II/

सामाजिक विज्ञान/
Social Science

क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा

वेद परीक्षा /
Veda Exam

कक्ष पर्यवेक्षक का नाम

कक्ष पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

आचार्य/प्राचार्य के नाम:

हस्ताक्षर :

दिनांक:

नोडल व्यक्ति का नाम:-

हस्ताक्षर:-

दिनांक:-